कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली

पत्रांक– 258 / जि0पं0चं0 / 2021–22 दिनांक– 7.9.21

कार्यालय ज्ञापः–

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, चन्दौली के शॉपिंग काम्पलेक्स में स्थित दुकान नं0–16 के बकाया किराये की धनराशि जमा न करने के कारण मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, चन्दौली के आदेश दिनांक–05.12.2019 द्वारा अनुबन्ध की शर्तों तथा जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 की व्यवस्था के अधीन दुकान पर जमा प्रीमियम की धनराशि को जब्त करते हुए दुकान आवंटन निरस्त किया गया है। जिला पंचायत की प्रथम बैठक दिनांक–12.07.2021 के एजेण्डा बिन्दु–3 में उक्त दुकान की पुनः नीलामी हेतु अनुमोदित है तथा इनका आवेदन मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) से निरस्त हो चुका है। नियमों में दी गयी व्यवस्था के अधीन निरस्त दुकान नं0–16 अधिकतम धनराशि के आधार पर पुनः आवंटन हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है। जिला पंचायत के राजस्व आय के प्राप्ति को देखते हुए प्रतिमाह हो रहे किराये के क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए दुकान नं0–16 की नीलामी हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित कर नियमों में दी गयी व्यवस्था के अधीन अधिकतम बोली के आधार पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जिला पंचायत, चन्दौली में बोलीदाता को बोली / नीलामी में भाग लेने हेतु मु0–50000.00 रू0 जमानत के रूप में अग्रिम जमा करने के साथ प्रारम्भिक बोली की धनराशि मु0–4.00 लाख रू0 तथा नीलाम की तिथि दिनांक–22.09.2021 को अपरान्ह 12.30 बजे निविदा / नीलाम समिति के समक्ष कार्यालय, जिला पंचायत, चन्दौली के सभागार में निर्धारित की गयी है। इच्छुक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पहचान, निवास इत्यादि सम्बन्धित अभिलेखों की प्रति प्रस्तुत कर उक्त नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चन्दौली।

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस आशय से कि जनपद की एन0आई0सी0 पर अपलोड करने हेतु।
3. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चन्दौली।
4. कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली।
5. अभियन्ता / सदस्य, नीलाम समिति, जिला पंचायत, चन्दौली।
6. प्रभारी निरीक्षक, थाना–कोतवाली, सदर, चन्दौली को उक्त नीलामी में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने हेतु प्रेषित।
7. लेखाकार, जिला पंचायत, चन्दौली।
8. प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली।
9. नाजिर, जिला पंचायत, चन्दौली।
10. विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र–दैनिक जागरण को इस आशय से कि सूचना समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान (7 फान्ट) एवं धनराशि में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चन्दौली।